न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार 2018 केम्प मु0 भरक

पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–136/2017 रे.वाद

अन्तर्गत धारा :– 88, 188 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

1. बंशीलाल आत्मज रतनलाल पुर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. नारायण आत्मज देवजी पुर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. मु0 शान्ति पत्नी देवजी पूर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. मु0 नोसर पुत्री देवजी पूर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. मु0 कमला पुत्री देवजी पुर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. मु0 चांदी पुत्री देवजी पुर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. भैरूलाल आत्मज बद्रीलाल जी पूर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. प्रताबी बेवा बद्रीलाल पुर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. कृष्ण पुत्री बद्रीलाल जी पुर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. सोनी पुत्री बद्रीलाल जी पुर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––वादी

बनाम

1. मोहन आत्मज किशनलाल जाट
2. जीतु आत्मज किशनलाल जाट
3. नाथु आत्मज भैरा जी जाट
4. रामेश्वर आत्मज भैरा जी जाट
5. सुखी पुत्री भैरा जी जाट
6. भुरी बैवा भैरा जी जाट

   सर्व निवासी मण्डफिया तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसलीदार सहाड़ा मु गंगापुर जिला भीलवाड़ा

––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 17.05.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के तहत मुकाम भरक प्रस्तुत हुई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए का प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि बंशीलाल देवजी तथा बद्रीलाल 3 भाई थे। जिसमे देवजी व बद्रीलाल के वारिसों को वादी बनाया गया है। ग्राम भरक तह0 सहाडा के बेरून हल्का आबादी में मोहनलाल जीतुलाल पिता किशनलाल जाट नि0 मण्डफिया व अन्य खातेदारों की सामलाती खातेदारी अधिकार की साबिक आराजी संख्या 688/2 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा आरजी न 786 रकबा 0.12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6.06 बीघा स्थित है जिससे प्रतिवादी सं 1 व 2 का 1/2 हिस्सा निहित था।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जायज जरूरत के लिये पैसे की आवश्यकता होने के कारण उन्होने अपना हिस्सा बंशीलाल देवजी व बद्रीलाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 11.06.87

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

महोदयजी,

को विक्रय कर दिया व बंशीलाल देवजी व बद्रीलाल ने 65000 रूपये अदा कर भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया तब बंशीलाल देवजी बद्रीलाल और अब उनके वारिस भूमि पर काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है।

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से जमीन खरीदकर उसे नामान्तरकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किया जिस पर इन्तफाक न. 897 दिनांक 06.11.87 को निर्णित हो गया लेकिन रोटेशन में पटवार हल्का द्वारा खरीददारों का नाम दर्ज नहीं करने से विक्रेतागण के नाम ही जमीन दर्ज रह गई।

उसी दरमीयान सहाडा तहसील का भू–प्रबन्ध हो जाने साबिक नक्शे के नवीन नं. 1825 रकबा 1.36है0 कायम किये गये और ये आराजी नं. विक्रेतागण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित कर दी तथा गैरकानूनी तरीके से हिस्सा भी मोहन व जीतू के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि उनका हिस्सा 1/2 था और वही 1/2 हिस्सा खरीदा। इसलिए इन्द्राज दुरस्त किया जाना अनिवार्य है। भूप्रबन्ध अधिकारियों ने वर्तमान रिकोर्ड में भी हिस्सा गलत दर्ज कर दिया जिसे भी दुरस्त कराने के लिए वादीगण अधिकारी है। राजस्व रेकार्ड में विक्रेतागण का नाम ही अंकित रह जाने से उसका नाजायज लाभ उठाकर भूमि को विक्रय कर सकते है तथा बेदखल कर सकते है। जिससे उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाद्या की डिक्री जारी फरमाई जाना भी आवश्यक है। कारण वाद दिनांक 30.10.2017 से उत्पन्न होकर जारी है।

वादीगण ने वादपत्र में रिलीफ चाही है कि खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाया जावे कि ग्राम भरक तहसील सहाडा बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1825 रकबा 1.36 है0 के 1/2 हिस्से के वादीगण खातेदार काश्तकार है। तदानुसार वादीगण का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे। इन्द्राज दुरस्त कराते हुये मोहन व जीतू पिता किशनलाल का 1/3 हिस्सा की जगह 1/2 हिस्सा दर्ज करते हुये वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कराये जाने की डिक्री सादिर फरमाये जावे।

वादीगण ने ये रिलीफ भी चाही है कि स्थायी निषधाद्या की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी गण इस आशय जारी फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम भरक की आराजी सं. 1825 को किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करे तथा वादीगण को उसके 1/2 हिस्से से बेदखल न करे।

वादीगण का प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय में 06.11.2017 को पंजीकृत किया जाकर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वा.पत्र का प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव के अनुसार वादपत्र की कम सं. 1 लगायत 8 में वर्णित तथ्य सही होनो इकबालिया स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने जबाव के बिन्दु संख्या 13 में अकिंत किया है कि वादपत्र की कम सं. 13 प्रार्थना है जो सही हो जाने से स्वीकार किये जाने में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है व वाद वादीगण डिक्री फरमा दिया जावे।

वादीगण की साक्ष्य में बंशीलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। बंशीलाल ने प्रस्तुत शपथ पत्र में कथन लिखा है कि ग्राम भरक के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 688/2 व आ.संख्या 786 कुल किता 2 रकबा 6.06 बीघा थी जिसमें 1/2 हिस्सा मोहन व जीतु जाट का था उनसे उनका हिस्सा देवजी व बद्रीलाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.06.1987 को बिल एवज 6500/– रूपये मे खरीद ली। लेकिन उनका खाता नहीं खुला ग्राम भरक के खाता संख्या 33 प्रदर्श 1 है जमाबन्दी सं. 2053 से 2072 प्रदर्श 2 है। मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 3 है नामान्तर कम संख्या 897 ग्राम भरक प्रदर्श 4 है नवीन जमाबन्दी प्रदर्श 5 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 6 है नये खाते में इस जमीन के खसरा न. 1825 पड़े है जिसका आधा हिस्सा हमारे नाम पर दर्ज कराया जावें। प्रतिवादी नं 3 लगायत 6 पर भैरा के वारिसान को सह खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है एवं उनके विरद्ध कोई दाद नहीं चाही गई है। प्रतिवादी संख्या 7 औपचारिक पक्षकार है।

सहायक कलक्टर

उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सूनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने वर वक्त बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र स्वीकार करने बाबत निवेदन किया।

प्रतिवादी न. 1 व 2 के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार करनें में कोई आपत्ति नहीं की है। तथा जवाब के अनुसार वाद पत्र स्वीकार करने बाबत न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

मैने पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत साक्ष्य/बहस पर गहनता से मनन किया। प्रदर्श 1 ग्राम भरक की जमाबन्दी सं 2037 से 2040 में साबिक आराजी न. 688/2 रकबा 5.14 बीघा व आराजी नं 786/0.12 आराजी किता 2 रकबा 6.06 बीघा भूमि कालुराम किशनलाल भेरा पिता मोती जाट सा0 मण्डफिया के नाम दर्ज रिकार्ड होने की पुष्टि होती है। प्ररर्श 3 मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आराजी न. 688/2 रकबा 5.14 व आराजी न. 786/0.12 के हाल नं 1825/1.36 हैं0 कायम होने की पुष्टि होती है। प्रदर्श 2 के अनुसार ग्राम भरक के नवीन आराजी सं. 1825/1.36 है0 भूमि कालुराम भैरा पिता मोती मोहन जीतु पिता किशन जाट सा. मण्डफिया खातेदार के नाम जमाबन्दी से 2053 से 2072 में अंकित होने की पुष्टि होती है।

प्रदर्श 4 नामान्तर करण संख्या 897 निर्णित दिनांक 6.11.87 के अनुसार मोहन जीतु पिता किशनलाल जाट सा0 मण्डफिया ने आराजी न. 688/2 रकबा 5.14 है0 व 786/0.12 है0 मे से अपना हक हिस्सा श्री देवजी बंशीलाल बद्रीलाल पिता रतनलाल पुर्बिया नि0 अलोली को विक्रय करने की पुष्टि होती है।

प्रदर्श 5 जमाबन्दी ग्राम भरक सम्वत 2070 से 2073 के अनुसार आराजी न. 1825/1.36 है. भूमि वर्तमान मे कालुराम 1/3 भेरा 1/12 पिता मोती मोहन जीतु पिता किशनलाल 1/3 जाट सा0 मण्डफिया जमनालाल पिता काशीराम शर्मा 1/4 सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज होना पाया जाता है।

प्रदर्श 6 विक्रय पत्र तादादी 6500/– के अनुसार मोहन जीतु पिता किशनलाल जाट नि0 मण्डफिया प्रथम पक्ष विक्रेता होकर देवजी बंशीलाल बद्रीलाल पिता रतनलाल पूर्बिया नि अलोली द्वितीय पक्ष क्रेता होकर मौजा भरक की आराजी संख्या 688/2 रकबा 5.14 है0 व आ.न. 786/0.12 योग किता 2 रकबा 6.06 भूमि मे से हिस्सा माफिक राजस्व रिकार्ड क्रय किया जाना पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए का सिद्ध होने से वादपत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है अतएवं

–: आदेश :–

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत 88,188 आरटीए का स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण को ग्राम भरक के आ0 संख्या 1825 रकबा 1.36 है0 भूमि में वादीगण को राजस्व रेकार्ड अनुसार 1/3 हक हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

चूंकि वाद पत्र में वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कराये जाने की प्रार्थना की है परन्तु ग्राम भरक की जमाबन्दी सम्बत् 2053 से 2072 के खाता संख्या 32 प्रदर्श 2 में कालुराम भैरा पिता मोती मोहन जीतू पिता किशन लाल जाट सा0 मण्डफिया खातेदार के नाम आ.न. 1825 रकबा 1.36 है0 भूमि किस्म बारानी III दर्ज रिकार्ड होने से मोहन जीतू पिता किशनलाल जाट का उक्त आराजी की भूमि में 1/3 हक हिस्सा ही निहित है। और वह हक हिस्सा देवजी बंशीलाल व बद्रीलाल पिता रतनलाल पूर्बिया नि. अलोली द्वारा माफिक राजस्व रिकार्ड क्रय कर लिया जाने मृतक देवजी बद्रीलाल के वारिसान (वादीगण) एवं बंशीलाल के नाम 1/3 हक हिस्सा बनता है जो जमाबन्दी स. 2070 से 2073

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

के खाता न. 50 मे मोहन जीतू पिता किशनलाल 1/3 जाट सा0 मण्डफिया के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण को ग्राम भरक के आराजी न. 1825 रकबा 1.36 है0 भूमि में 1/3 हक हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदृ अनुसार ग्राम भरक के खाता संख्या (सम्वत 2070–2073) के खसरा नम्बर 1825 रकबा 1.36है0 में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मोहन जीतु पिता किशनलाल जाट के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सहाड़ा को आदेश दिये जाते हैं। तहरीर जारी हो।

ग्राम भरक के आ0न0 1825 रकबा 1.36 है0 भूमि के 1/3 हक हिस्से में बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण का उसके 1/3 हिस्से से बेदखल नहीं करे। पत्रावली वाद दाखला रजिस्टार के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्टः न्याय आपके द्वार केम्प भरक
पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–136/2017 वाद अन्तर्गत धारा 88, आरटीए

शीर्षक

1. बंशीलाल आत्मज रतनलाल पुर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. नारायण आत्मज देवजी पुर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. मु0 शान्ति पत्नी देवजी पूर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. मु0 नोसर पुत्री देवजी पूर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. मु0 कमला पुत्री देवजी पुर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. मु0 चांदी पुत्री देवजी पुर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. भैरूलाल आत्मज बद्रीलाल जी पूर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. प्रताबी बेवा बद्रीलाल पुर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. कृष्ण पुत्री बद्रीलाल जी पुर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. सोनी पुत्री बद्रीलाल जी पुर्बिया नि0 अलोली तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——वादीगण

बनाम

1. मोहन आत्मज किशनलाल जाट
2. जीतु आत्मज किशनलाल जाट
3. नाथु आत्मज भैरा जी जाट
4. रामेश्वर आत्मज भैरा जी जाट
5. सुखी पुत्री भैरा जी जाट
6. भुरी बैवा भैरा जी जाट
   सर्व निवासी मण्डफिया तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसलीदार सहाड़ा मु गंगापुर जिला भीलवाड़ा

——प्रतिवादीगण

दिनांकः– 17.05.2018

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह चूण्डावत की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि–

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए का स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण को ग्राम भरक की जमाबन्दी सम्बत् 2053 से 2072 के खाता संख्या 32 प्रदर्श 2 में कालुराम भैरा पिता मोती मोहन जीतू पिता किशन लाल जाट सा0 मण्डफिया खातेदार के नाम आ.न. 1825 रकबा 1.36 है0 भूमि किस्म बारानी III दर्ज रिकार्ड होने से मोहन जीतू पिता किशनलाल जाट का उक्त आराजी की भूमि में 1/3 हक हिस्सा ही

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

निहित है। और वह हक हिस्सा देवजी बंशीलाल व बद्रीलाल पिता रतनलाल पूर्बिया नि. अलोली द्वारा माफिक राजस्व रिकार्ड क्रय कर लिया जाने मृतक देवजी बद्रीलाल के वारिसान (वादीगण) एवं बंशीलाल के नाम 1/3 हक हिस्सा बनता है जो जमाबन्दी स. 2070 से 2073 के खाता न. 50 मे मोहन जीतू पिता किशनलाल 1/3 जाट सा0 मण्डफिया के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा डिक्री बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण को ग्राम भरक के आराजी न. 1825 रकबा 1.36 है0 भूमि में 1/3 हक हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदृ अनुसार ग्राम भरक के खाता संख्या (सम्वत 2070—2073) के खसरा नम्बर 1825 रकबा 1.36है0 में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मोहन जीतु पिता किशनलाल जाट के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सहाड़ा को आदेश दिये जाते हैं। तहरीर जारी हो।

ग्राम भरक के आ0न0 1825 रकबा 1.36 है0 भूमि के 1/3 हक हिस्से में बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण का उसके 1/3 हिस्से से बेदखल नहीं करे। पत्रावली वाद दाखला रजिस्टार के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

डिक्री आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी गंगापुर

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)